

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मूल-पत्रकों बनाम रामकल कांटे

वर्ष 8/80 : प्राप्ति नं० 251/57
/20

न आज्ञा पर्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>30/12-81 वकील प्रार्थी द्वारा P.O. का प्रकाशन पर ई गत आदेश की फासल के दिनांक 06-1-82 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">श्री प्रस्तुतकार उप-खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>06-1-82 फासल पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रकाशन के Not press Plead किया गया। प्रकाशन में कोई कार्य नहीं भेजे नहीं रही। अतः प्रकाशन स्वार्थिज किया जाता है। फासल के फल शुभ लेकर दाखिल दाखल है। कस लेवे।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p>Not Press</p> <p style="text-align: center;">श्री</p>